



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 471 -मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१७-६४-मा०सं०प्र०-०२/२००१

दिनांक : 23 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगमादेश सं०: 1748-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१०-६४-मा०सं०प्र०-०२/२००१, दिनांक 04.09.10 सपटित सं०: 1889-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१०-६४-मा०सं०प्र०-०२/२००१, दिनांक 07.09.10 के अनुक्रम में निगम में कार्यरत आमेलित/संविलीन निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में दर्शाये गये कार्मिकों को स्तम्भ-4 में दर्शाये गये परिवर्तित तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 28.02.2009 से पूर्व अनुमन्य कराये गये) दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की अनवरत् सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता की तिथि, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	सीधी भर्ती का पदनाम एवं वेतनमान (दि० 01.01.1996 से लागू)	01.01.96 से प्रवृत्त वेतनमान में पूर्व में अनुमन्य तृतीय समयबद्ध वेतनमान	01.01.96 से प्रवृत्त वेतनमान से अनुमन्य परिवर्तित तृतीय समयबद्ध वेतनमान
1	2	3	4
1	कम्पनी सचिव/रु० 14300-18300	रु० 16400-20000 (प्रथम समयबद्ध वेतनमान)	रु० 18400-22400 (द्वितीय एवं अन्तिम समयबद्ध वेतनमान)
2	प्रधानाचार्य(हाईस्कूल)/रु० 6500-11000	रु० 14300-18300	रु० 16400-20000
3	रसायनज्ञ श्रेणी-1/रु० 8550-13500	रु० 16400-20000	रु० 18400-22400
4	फायरमैन,पेंटर/रीगर, पम्प अटेण्डेन्ट, अटेण्डेन्ट ग्रेड-1, मेसन,ए०एन०एम०, सहायक अध्यापक (प्राइमरी/ नर्सरी), नर्सिंग असिस्टेंट, डार्करूम अटेण्डेन्ट, लैब असिस्टेंट, वैक्सीनेटर (प्रशिक्षित), कम्पाउन्डर (अप्रशिक्षित) एवं अन्य समान पद/ रु० 3500-5455	रु० 5300-8600	रु० 5850-9400

2- उपरोक्त अनुमन्य कराये गये समयबद्ध वेतनमान में वेतन का निर्धारण समान स्तर पर होने पर उसी स्तर पर अन्यथा अगले स्तर पर किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 01.01.1996 अथवा तदुपरान्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता की वास्तविक तिथि जो भी बाद में हो (किन्तु 28.02.2009 से पूर्व), से मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा एवं इसके फलस्वरूप दिनांक 19.07.2010 तक किसी भी प्रकार के अवशेष की अनुमन्यता/देयता नहीं होगी। अन्य समस्त शर्तें/दशायें उक्त निगमादेश सं०: 1748-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१०-६४-मा०सं०प्र०-०२/२००१, दिनांक 04.09.2010 एवं सं०: 1889-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१०-६४-मा०सं०प्र०-०२/२००१, दिनांक 07.09.2010 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत यथावत् प्रभावी/लागू रहेंगी।

कमश: .....2



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

:: 2 ::

3- समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों में निहित प्राविधानों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: 471 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2017, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर)/पारीछा(झाँसी)।
- (5) मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/(ईंधन)/वाणिज्य/आर०एण्डएम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (6) मुख्य अभियन्ता (जानपद)/(जानपद नव-परियोजनाएँ), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (7) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (8) मुख्य महा प्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (9) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 170वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-38 पर लिए गये निर्णय के संबंध में।
- (10) महा प्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (11) मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010।
- (12) उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (13) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (14) लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (15) सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

23.2.17

( डी०के० शर्मा )

अधिशाली अभियन्ता(02)